

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती रजनी देवी व/स श्रीमती रजनी देवी 0/5-0-9, 4-4, 8/5720 रिजिस्ट्रार प्र. 47 55A/2023 निर्णय दिनांक: 16.6.2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
S. 2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं जो दावा अदम पैरवी व अदम हाजरी में दिनांक 17.02.2004 को खारिज किया गया है उसको अपास्त कर प्रकरण को पुनः वाजिब नंबर पर दर्ज कर सुनवाई किये जाने हेतु निवेदन किया गया। लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई।</p> <p>अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-09 नियम 4 एवं संपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर मूल दावा को पुनः संख्या रूढ किये जाने का कथन किया गया।</p> <p>बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं संपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर दावा संख्या 36/1988 (168/1991) को पुनः रेस्टोर किया जाकर वाजिब नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली एवं दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पत्रावली काफी पुरानी एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण पत्रावली की प्रमाणित प्रति नियमित सुनवाई हेतु उपयोग में लिया जाना अपेक्षित है। अतः रीडर मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति तैयार करवाकर नियमित सुनवाई की पत्रावली के रूप में संधारित करें एवं मूल पत्रावली को रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावे। प्रमाणित प्रति को मूल पत्रावली के रूप में समझा जावे एवं उसी अनुरूप में किसी पक्षकार द्वारा पत्रावली की नकल मांगने पर इसकी नकल मूल पत्रावली के रूप में तैयार कर प्रमाणित प्रति के रूप में नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। वाद दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.06.2024 को पेश हो।</p>	

